



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072026-274852
CG-DL-E-27072026-274852

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3866]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2026/आषाढ 31, 1948

No. 3866]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2026/ASHADHA 31, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

का.आ. 4036(अ).— यतः, मै. केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नॉलजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो एक निजी संगठन है, ने केरल राज्य के पल्लीपुरम गांव, चेरथला तालुक, अलाप्पुझा जिला में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न तालिका में उल्लेखित क्षेत्रों को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में अधिसूचित तथा अनधिसूचित किया था: -

क्रम. सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(i)	का.आ.1426(अ)	08.06.2009	24.5313	-	24.5313
(ii)	का.आ.3020(अ)	15.07.2024	-	11.4525	13.0788

और यतः, मै. केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नॉलजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से 1.0241 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः, केरल सरकार ने पत्र संख्या आईटी-ए2/57/2025-आईटीडी दिनांक 4 अक्टूबर, 2025 के तहत प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है;

और, यतः, विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन ने 1.0241 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है;

और, यतः, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) और अन्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 1.0241 हेक्टेयर के क्षेत्र को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 12.0547 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वे संख्यायें और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्र. सं.	गावं का नाम	सर्वे संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	पल्लीपुरम	130/3-5	0.0688
2.		130/3-6	0.2750
3.		130/4	0.0688
4.		130/5-10(भाग)	0.0021
5.		130/7-12	0.0575
6.		106/11-1(भाग)	0.3183
7.		106/5(भाग)	0.2336
कुल			1.0241
उपयुक्त अनधिसूचना के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			12.0547

[फा. सं. एफ.1/105/2008-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2026

S.O. 4036(E).— Whereas, M/s. Kerala State Information Technology Infrastructure Ltd, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up an Information Technology and Information Technology Enabled Services Special Economic Zone at Pallipuram Village, Cherthala Taluk, Alappuzha District, in the State of Kerala;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified the following areas at above Special Economic Zone as details given below in the table: -

Sl. No.	Notification No.	Notification Date	Notified Area (in Hectares)	De-Notified Area (in Hectares)	Total Area (in Hectares)
(i)	S.O.1426(E)	08.06.2009	24.5313	-	24.5313
(ii)	S.O.3020(E)	15.07.2024	-	11.4525	13.0788

AND, WHEREAS, M/s. Kerala State Information Technology Infrastructure Ltd has now proposed for de-notification of 1.0241 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Kerala has given its approval to the proposal vide letter No. IT-A2/57/2025-ITD dated 4th October, 2025;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin SEZ has recommended the proposal for de-notification of an area of 1.0241 hectares of the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 1.0241 hectares, thereby making resultant area as 12.0547 hectares. The Survey numbers and the area for de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area (in Hectares)
1.	Pallipuram	130/3-5	0.0688
2.		130/3-6	0.2750
3.		130/4	0.0688
4.		130/5-10(Part)	0.0021
5.		130/7-12	0.0575
6.		106/11-1(Part)	0.3183
7.		106/5(Part)	0.2336
Total			1.0241
Total notified area of the SEZ after above de-notification			12.0547

[F. No. F.1/105/2008-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.